

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ११, अंक १०८(२)]

बुधवार, जुलै ३०, २०२५/श्रावण ८, शके १९४७

[पृष्ठे १२, किंमत: रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक २७५

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग

१८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ३२, दि. ३० जुलै, २०२५

अधिसूचना

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५.

क्रमांक मलोअ-२०२२/प्र.क्र.१४७/आस्थापना.— महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (२०१५ चा महा. ३१) याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे, प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, आणि याबाबतीत यापूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचे अधिक्रमण करून, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयाद्वारे आणि त्याच्या क्षेत्रीय कार्यालयांद्वारे, पात्र आस्थापना / व्यक्तींना पुरविण्यात येणाऱ्या लोकसेवा, अशा लोकसेवा पुरविण्यासाठी निर्धारित केलेली कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय प्राधिकारी अधिसूचित करीत आहे.

अनुसूची

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम ३ अन्वये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा.

| अ.क्र. | लोकसेवांचा त | पशील प्र | चलित नियमांच्या तरतु | दींनुसार लोकसेवा देण्यासाठी | पदनिर्देशित | प्रथम अपिलीय | दुसरे अपिलीय |
|--------|---|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | निर्धारित के | नेली कालमर्यादा | अधिकारी | अधिकारी | अधिकारी |
| १. | जल (प्रदूषण प्रतिबंध | आणि नियंत्रण) | अधिनियम, १९७४ आ | णि हवा (प्रदूषण प्रतिबंध आणि | नियंत्रण) अधिनिय | ाम, १९८१ अन्वये | उद्योग स्थापनेसाठी |
| | / कार्यान्वयनासाठी / | ' नूतनीकरणासार्ठ | ठी संमती आणि घातक व | त्र इतर कचरा (व्यवस्थापन व | सीमापार वाहतूक) |) नियम, २०१६ अ | न्वये प्राधिकारपत्र. |
| | (क) उद्योग स्थाप / कार्यान्वयः / नूतनीकरण सुधारणेसार्ठ संमतीः१०० रुपयांपर्यंत १ गुंतवणूक. | नासाठी गासाठी/ ो कोटी | अ. क्र. अर्ज | कालावधी (दिवसांमध्ये) | उप-प्रादेशिक अधिकारी | प्रादेशिक अधिकारी | विभाग प्रमुख |

| | गुंतवणूक असणारा | | संमती देणे किंवा | लाल | नारंगी | हरित | | | |
|--|--|-------------|--------------------------|--|---------|---------|--------------|--|--|
| | हरित प्रवर्गातील उद्योग. | | नाकारणे | प्रवर्ग | प्रवर्ग | प्रवर्ग | | | |
| | | | | | ४५ | 30 | | | |
| | | १ | स्थापन | ६० | 89 | 1 30 | | | |
| ন্ত্ৰ) | उद्योग स्थापनेसाठी / | | करण्यासाठी संमती | | | | प्रादेशिक | विभाग | सदस्य सचिव |
| , | कार्यान्वयनासाठी / | | समता | | | | अधिकारी | प्रमुख | |
| | नूतनीकरणासाठी / | 7 | पहिल्या वेळी | ९० | ६० | 30 | | | |
| | सुधारणेसाठी संमती: | | कार्यान्वयनासाठ | | | | | | |
| | | | ीसंमती | | | | | | |
| | १० कोटी रुपयांपर्यंत | | | ३ २० | ६० | 30 | | | |
| | भांडवली गुंतवणूक असणारा (परिशिष्ट - | 3 | संमतीपत्राचे नूतनीकरण | 240 | 40 | | | | |
| | 'अ' मध्ये | | किंवा विस्तार | | | | | | |
| | सूचीबद्धकेलेले उद्योग | | किंवा सुधारणा | | | | | | |
| | वगळून) लाल | | करण्यासाठी | | | | | | |
| | प्रवर्गातील उद्योगः | | | and the same of th | | | | | |
| | | | (१-क, १-ख, १-ग, १ | -घ व १-ङ | साठी ला | ·Д) | | | |
| | १५० कोटी रुपयांपर्यंत | | | | | | | | |
| | भांडवली गुंतवणूक | | | | | | | | |
| | असणारा नारंगी | | | | | | | | |
| | प्रवर्गातील उद्योग; | | | | | | | | * |
| | १०० कोटी रुपयांपेक्षा | | | | | | | | |
| | अधिक ते ५०० कोटी | | | | | | | | |
| | रुपयांपर्यंत भांडवली | | | | | | | | |
| | गुंतवणूक असणारा | | | | | | | | |
| | हरित प्रवर्गातील उद्योगः | | | | | | | | |
| | २५ कोटी रुपयांपर्यंत | | | | | | | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | |
| | भांडवली गुंतवणूक | | | | | | | | |
| | असणारे पायाभूत | | | | | | | | |
| | सुविधा प्रकल्प. | | | | | | | | |
| - | उद्योग स्थापनेसाठी / | | | | | | विभाग प्रमुख | सदस्य | अध्यक्ष |
| ग) | अधाग स्थापनसाठा / कार्यान्वयनासाठी / | | | | | | | सचिव | |
| | नूतनीकरणासाठी / | | | | | | | | |
| | सुधारणेसाठी संमतीः | | | | | | | | |
| | सुपारणसाठा रागताः | | | | | | | | |
| | १० कोटी रुपयांपेक्षा | | | | | | | | |
| | अधिक ते ५० कोटी | | | | | | | | |
| 200 | रुपयांपर्यंत भांडवली | | | | | | | | |
| | गुंतवणूक असणारा | | | | | | | | |
| | लाल प्रवर्गातीलउद्योग; | | | | | | | | |
| | १५० कोटी रुपयांपेक्षा | | | | | | | | |
| | अधिक ते ५०० कोटी | | | | | | | | |
| | रुपयांपर्यंत भांडवली | | | | | | | | |
| | गुंतवणूक असणारा | | | | | | | | |
| | नारंगी प्रवर्गातील | | | | | | | | Managara and an and an |
| | | | | | | | | | |
| | उद्योग; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ı |
| | ५०० कोटी रुपयांपेक्षा | | | | | | | | |
| AAA MAAA MAAA MAAA MAAA MAAA MAAA MAAA | ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक ते १००० कोटी | | | | | | | To the second se | |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | ५०० कोटी रुपयांपेक्षा | in property | | | | | | | |

| | २५ कोटी रुपयांपेक्षा | | | | |
|--|---|----------|-----------|------------|----------|
| | अधिक ते १०० कोटी | | | | |
| | रुपयांपर्यंत भांडवली | | | | |
| | गुंतवणूक असणारा | | | | |
| | पायाभूत सुविधा | | | | |
| | प्रकल्प. | | | | |
| घ) | उद्योग स्थापनेसाठी / | | संमतीपत्र | अध्यक्ष | प्रधान स |
| 7 | कार्यान्वयनासाठी / | | समिती | 019941 | पर्यावर |
| | नूतनीकरणासाठी / | | लामसा | | |
| | | | | | वतावर |
| | सुधारणेसाठी संमती: | | | | बदल वि |
| | ५० कोटी रुपयांपेक्षा | | | | |
| | अधिक ते १५० कोटी | | | | |
| | रुपयांपर्यंत भांडवली | | | | |
| | गुंतवणूक असणारा | | | | |
| | लाल प्रवर्गातील उद्योग; | | | | |
| | ५०० कोटी रुपयांपेक्षा | | | | |
| | अधिक ते १५०० कोटी | | | | |
| | रुपयांपर्यंत भांडवली | | | | |
| | 1 | | | | |
| | गुंतवणूक असणारा | | | | |
| | नारंगी प्रवर्गातील | | | | |
| | उद्योग; | | | | |
| | १००० कोटी रुपयांपेक्षा | | | | |
| | अधिक ते ४००० कोटी | | | | |
| | रुपयांपर्यंत भांडवली | | | | |
| | गुंतवणूक असणारा | | | | |
| | हरित प्रवर्गातील उद्योग; | | | | |
| | १०० कोटी रुपयांपेक्षा | | | | |
| | अधिकते ७५० कोटी | | | | |
| | रुपयांपर्यंत भांडवली | | | | |
| | | | | | |
| | गुंतवणूक असणारा | | | | |
| | पायाभूत सुविधा | | | | |
| | प्रकल्प. | | | | |
| ड) | उद्योग स्थापनेसाठी / | <u> </u> | संमतीपत्र | प्रधान | ~~ |
| - | कार्यान्वयनासाठी / | | मूल्यांकन | सचिव, | |
| | नूतनीकरणासाठी / | | समिती | पर्यावरण व | |
| | सुधारणेसाठी संमती: | | | वतावरणीय | |
| | १५० कोटी रुपयांपेक्षा | | | बदल | |
| The state of the s | अधिक भांडवली | | | विभाग | |
| | गुंतवणूक असणारा | | | | |
| | गुतवणूक असणारा लाल प्रवर्गातील उद्योग; | | | | |
| 777 | 4 | | | | |
| | १५०० कोटी रुपयांपेक्षा | | | | |
| | अधिक भांडवली | | | | |
| | गुंतवणूक असणारा | | | | |
| | नारंगी प्रवर्गातील | | | | |
| | उद्योग; | | | | |
| | ४००० कोटी रुपयांपेक्षा | | | | |
| | अधिकभांडवली | | | | |
| | ઝાવ જમા ડવલા | | | | |

| | | गुंतवणूक असणारा | | | | • |
|---|------------|--|--|-----------------|---------------|--------------|
| | | हरित प्रवर्गातील उद्योग; | | | | |
| | | ७५० कोटी रुपयांपेक्षा | | | | |
| | | अधिकभांडवली | | | | |
| | | गुंतवणूक असणारा | | | | |
| | | पायाभूत सुविधा | | | | |
| | 1 | प्रकल्प. | | | | |
| | | | ापन व सीमापार वाहतूक) नियम, २०१६ अन्वये प्राधि | कार पत्र व त्या | तील संधारणा | |
| 3 | घातव | त्वं इतरकचरा (व्यवस्थ | ापन व सामापार वाहतूका निषम, रण्य जान्य जान्य | | | |
| | क) | घातक व इतर कचरा | १२० दिवस | विभाग प्रमुख | सदस्य सचिव | अध्यक्ष |
| | - 1 | (व्यवस्थापन व | (२-क, २-ख व २-ग साठी लागू) | | सायप | |
| | | सीमापार वाहतूक) | <u> </u> | | | |
| | | नियम, २०१६ आणि | | | | |
| | | त्यातील सुधारणांन्वये | | | | |
| | | घातक कचऱ्याची | | | | |
| | | प्रक्रिया, पुन:वापर व | | | | |
| | | पुन:प्राप्ती करण्यासाठी | | | | |
| | | प्राधिकार पत्र. | | | | |
| | ख) | घातक व इतर कचरा | | विभाग प्रमुख | सदस्य | अध्यक्ष |
| | (4) | (व्यवस्थापन व | | | सचिव | |
| | | सीमापार वाहतूक | | | | |
| | | नियम, २०१६ च्या | | | | |
| | | आणि त्यातील | | | | |
| | | सुधारणा याच्या भाग – | | | | |
| | | घ च्या अनुसूची — तीन | | | | |
| | | नुसार आणि त्यातील | | | | |
| 1 | | सुधारणांअन्वये घातक | | | | |
| | | कचरा आयात | | | | |
| | | करण्यासाठी एक वेळचे | | | | 1.00 |
| | | प्राधिकारपत्र. | | | | |
| | 77\ | घातक आणि इतर | | विभाग प्रमुख | सदस्य | अध्यक्ष |
| | ग) | कचरा (व्यवस्थापन व | | | सचिव | |
| | | सीमापार वाहतूक) | | | | |
| | | नियम, २०१६ आणि | | | | |
| | | त्यातील सुधारणा | | | | |
| | L | याच्या नियम १८ | | | | |
| | | अन्वये महाराष्ट्र | | | | |
| | | राज्यात वाहनाद्वारे | | | | |
| | | घातक कचरा वाहतूक | | | | |
| | | करण्यासाठी | | | | |
| | | वाहतूकदारांना | | | | |
| | | प्राधिकारपत्र. | | | | |
| | | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | | | | 1 |
| 3 | घनव | कचरा व्यवस्थापन नियम, | २०१६ अन्वये प्राधिकारपत्रः | | | |
| | क) | ·क' वर्ग नगरपरिषदा — | ६० दिवस | उप-प्रादेशिक | प्रादेशिक | विभाग प्रमुख |
| | | , | | अधिकारी | अधिकारी | |
| | | | (३-क, ३-ख, ३-गआणि ३-घ) साठी लागू) | | | |
| | ন্ত্ৰ) | 'ब' वर्ग नगरपरिषदा | | प्रादेशिक | विभाग | सदस्य सचिव |
| | ا | आणि कटक मंडळे | | अधिकारी | प्रमुख | |
| | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | 1 | I . | | | | |

| | ग) | 'अ' वर्ग नगरपरिषद | | | | | | विभाग प्रमुख | सदस्य सचिव | अध्यक्ष |
|---|------------|-------------------------------------|-----------|--|----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|--|
| | घ) | सर्व महानगरपालिका | | | | | | संमतीपत्र समिती | अध्यक्ष | प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग. |
| 8 | बांध | काम व पाडकाम कचरा | व्यवस्थाप | ान नियम, २०१६ | अन्वये प्र | ाधिकार | मत्र : | | | |
| | <u>क</u>) | 'क' वर्ग नगरपरिषद | 1 | म व पाडकाम कच | | | | 1 | प्रादेशिक | विभाग प्रमुख |
| | | | | नोणतीही कालमर्याद 1 १२० दिवसांचा का | | | | , अधिकारी | अधिकारी | |
| | ख) | 'ब' वर्ग नगरपरिषदा आणि कटक मंडळे | | (४-क, ४-ख, ४-ग | वि४-घ | साठी ल | ागू) | प्रादेशिक अधिकारी | विभाग प्रमुख | सदस्य सचिव |
| | ग) | 'अ' वर्ग नगरपरिषद | | | | | | विभाग प्रमुख | सदस्य सचिव | अध्यक्ष |
| | घ) | सर्व महानगरपालिका | | | | | | संमतीपत्र | अध्यक्ष | प्रधान सचिव, |
| | | | | | | | | समिती | | पर्यावरण व |
| | | | | | | | | | | वातावरणीय |
| *************************************** | | | | | | | | | | बदल विभाग. |
| | | नियम, २०१६ यांच्या त | 7 | | | | | | | |
| | क) | १-२५ खाटा | अ. | अर्ज | कालावधी | | | उप-प्रादेशिक अधिकारी | प्रादेशिक अधिकारी | विभाग प्रमुख |
| | - | | क्र. | | (दिवसांमध | ये) | | Oliganti | जापनगरा | |
| | ख) | २६-५० खाटा | | | | | | प्रादेशिक | विभाग | सदस्य सचिव |
| | | | | संमतीपत्र देणे किंवा नाकारणे | लाल प्रवर्ग | नारंगी प्रवर्ग | हरित प्रवर्ग | अधिकारी | प्रमुख | |
| | ग) | ५१-१०० खाटा | 1 8 | उद्योग स्थापन करण्यासाठी | Ęo | ४५ | 30 | विभाग प्रमुख | सदस्य सचिव | अध्यक्ष |
| | ਬ) | १०१-२०० खाटा | 7 | प्रथम कार्यान्वयनासाठी | 90 | Ęο | 30 | | DESCRIPTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | |
| | ۱۹) | (01-400 @151 | | संमतीपत्राचे | 0.7- | ξo | | संमतीपत्र सिमती | अध्यक्ष | प्रधान सचिव, पर्यावरण व |
| | | | ₹ | नूतनीकरण किंवा विस्तार किंवा सुधारणा | १२० | 40 | 30 | | | वातावरणीय बदल विभाग |
| | ड) | २०१ व त्यापेक्षा अधिक | L | | | | | | प्रधान | |
| | | | | | | | | संमतीपत्र | | |
| | | खाटा | (| -क, ५-ख, ५-ग, ५- | घव ५- | ड साठी त | नागू) | संमतीपत्र मुल्यांकन समिती | सचिव. पर्यावरण व बातावरणी य बदल विभाग | |

| | सुधारणा यांअन्वये प्लास्टिक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) नोंदणी. | | | | , |
|----|---|---|--------------|---------------|---------|
| 9. | बॅटरी कचरा व्यवस्थापन नियम, २०२२ अन्वयेविस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व(ईपीआर) नोंदणी. | केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या मानक कार्यप्रणालीनुसार (एसओपी) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)नोंदणीसाठी अर्ज मिळाल्यापासून १५ दिवस | विभाग प्रमुख | सदस्य सचिव | अध्यक्ष |

परिशिष्ट-अ

प्रादेशिक अधिकाऱ्याला संमतीपत्र आणि प्राधिकार व्यवस्थापन सोपवण्यातून वगळलेल्या उद्योगांची यादी

- (१) ज्या प्रकल्पांना सरकार आणि राज्य सरकारकडून पर्यावरणीय मंजुरी आवश्यक आहे.
- (२) सीआरझेड किंवा इतर प्रतिबंधित क्षेत्रांचा सर्व अर्ज
- (३) औष्णिक वीज प्रकल्प
- (४) स्पंज आयर्न प्लांट्स
- (५) सेंद्रीय जैव-खत आणि सूत्रीकरण वगळता खते
- (६) संनियंत्रित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (सीइटीपी) / सार्वजिनक घातक कचरा प्रक्रिया साठवण आणि विल्हेवाट सुविधा (सीएचडब्लुटीएसडीएफ) / सार्वजिनक जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया सुविधा (सीबीएमडब्लुटीडीएफ) / सार्वजिनक नगरपालिका घन कचरा प्रक्रिया सुविधा.
 - (७) इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिकल आर्क, इंडक्शन, क्युपोला आणि ब्लास्ट फर्नेसेस असलेले उद्योग
 - (८) डिस्टिलरी (मोलॅसिस आधारित)
 - (९) कोक ओव्हन
 - (१०) बल्क ड्रग
 - (११) कीटकनाशक तांत्रिक
 - (१२) सिमेंट
 - (१३) टॅनरीज
 - (१४) कत्तलखाना
 - (१५) रंग आणि रंगांचे मध्यस्थ
 - (१६) रंगद्रव्य आणि रंगद्रव्य उत्पादन
 - (१७) पेट्रोकेमिकल रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स

टीपः—

गेल्या एका वर्षात खटला चालवणे/अंतिम बंद करण्याचे निर्देश यासारखी कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली असेल, तर नूतनीकरण मंजूर करण्याचे प्रकरण सर्व श्रेणीतील उद्योगांसाठी पुढील उच्च प्राधिकरणाकडे मंजुरी किंवा संमती नाकारण्यासाठी पाठवले जातील. डहाणू, माथेरान, महाबळेश्वर, पाचगणी, मुरुड जंजीरा इत्यादी पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक भागात, भातसा परिसरातील कोणत्याही न्यायालयीन खटल्यांमध्ये सदस्य सचिवांच्या मान्यतेने मुख्यालय स्तरावर खटले चालवले जातील.

घातक कचरा, प्लास्टिक आणि ई-कचऱ्याच्या पुनर्वापरकर्त्या/ पुनर्प्रक्रियाकर्त्यांच्या संमतीची प्रकरणे प्रादेशिक अधिकारी (मुख्यालय) द्वारे हाताळली जातील आणि घातक कचरा, ई-कचऱ्याच्या पुनर्वापरकर्ता आणि पुनर्प्रक्रियाकर्त्याला अधिकृतता आणि प्लास्टिक उद्योगांची नोंदणी सदस्य सिचवांच्या मान्यतेने प्रादेशिक अधिकारी (मुख्यालय) द्वारे हाताळली जाईल.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुर्यकांत कि. निकम, शासनाचे सहस्रचिव.

ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032 dated 30th July, 2025.

NOTIFICATION

Maharashtra Right to Public Services Act, 2015.

No. MRA-2022/C.R.147/Establishment.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 (Mah.XXXI of 2015) and in supersession of all the earlier Notifications issued in this behalf, the Environment and Climate Change Department hereby notifies the public services to be rendered by the office of the Maharashtra Pollution Control Board and its field offices, to the eligible Establishments / persons, alongwith the stipulated time limit for providing such public services, the Designated Officers, First Appellate Authority and Second Appellate Authorities, as specified in the Schedule appended herewith, for the purpose of the said Act.

Schedule

Services to be provided under section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 by the Maharashtra Pollution Control Board.

| Sr. No. | P | ublic Service Details | Stipu | ılated time f se | or delivrvice | vering _l | public | Designated Officer | First Appellate Authority | Second Appellate Authority |
|------------|-----|---|------------|------------------------|---------------|---------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Air | sent to Establish/ Opera (Prevention & Control of Inagement & Transbour | of Poll | ution) Act, 1 | 981 an | d Auth | | | | |
| | (A) | Consent to Establish/ Operate/ Renewal/ Amendment: Green | Sr. No. | Application | Perio | od (in da | ys) | Sub- Regional Officer | Regional Officer | HOD |
| | | Category Industry having Capital | 1 | Grant or refusal of | Red | Orange | Green | Officer | | |
| | | Investment upto Rs. 100 crore. | | Consent to establish | 60 | 45 | 30 | | | |

| B) | Consent to Establish/ Operate/ Renewal/ Amendment: | 2 | Consent to operate, first Time | 90 | 60 | 30 | Regional Officer | HOD | Member Secretary |
|----|--|----|--|---------|----------|--------|------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | Red category industry having capital Investment (C.I.) Upto Rs. 10 crores (excluding industries listed in Annexure – 'A'); | 3 | Renewal of consent or expansion or amendment | 120 | 60 | 30 | | | |
| | Orange category industry having C.I. Upto Rs. 150 crores; | (A | Applicable to 1-A | A, 1-B, | 1-C, 1-D | & 1-E) | | | |
| | Green category industry having C.I. Above Rs. 100 crores upto Rs. 500 crores; | | | | | | | | |
| | Infrastructure Project having C.I. Upto Rs. 25 crores. | | | | | | , | | |
| C) | Consent to Establish/ Operate/ Renewal/ Amendment: | | | | | | Head of the Department | Member Secretary | Chairman |
| | Red category industry having C.I. Above Rs. 10 crores upto Rs. 50 crores; | | | | | | | | |
| | Orange category industry having C.I. Above Rs. 150 crores upto Rs. 500 crores; | | | | | | | | |
| | Green category industry having C.I. Above Rs. 500 crores upto Rs. 1000 crores; | | | | | | | | |
| | Infrastructure Project having C.I. Above Rs. 25 crores upto Rs. 100 crores. | | | | | | | | |
| D) | Consent to Establish/ Operate/ Renewal/ Amendment: | | | | | | Consent Committee | Chairman | Principle Secretary, Environment |
| | Red category industry having C.I. Above Rs. 50 crores upto Rs. 150 crores; | | | | | | | | & CC Dept. |
| | Orange category industry having C.I. Above Rs. 500 crores upto Rs. 1500 crores; | | | | | | | | |
| | Green category industry having C.I. Above Rs. 1000 crores upto Rs. 4000 crores; | | | | | | | | |
| | Infrastructure Project having C.I. Above Rs. 100 | | | | | | | | |

| | | crores upto Rs. 750 crores. | | | | |
|---|----|--|--|-----------------------------------|--|-------------|
| | E) | Consent to Establish/ Operate/ Renewal/ Amendment: Red category industry having C.I. More than Rs. 150 crores; Orange category industry having C.I. More than Rs. 1500 crores; Green category industry having C.I. More than Rs. 4000 crores; | | Consent Appraisal Committee | Principle Secretary, Environment & CC Dept. | |
| | | Infrastructure Project having C.I. More than Rs. 750 crores | | | | |
| 2. | | thorization under Hazardo reto: | us and Other Waste (Management & Transboundary | Movement) | Rules, 2016 an | d amendment |
| ANNE ANNE ANNE ANNE ANNE ANNE ANNE ANNE | A) | Authorization for processing, recycling and recovery of Hazardous waste under Hazardous and Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 and amendment thereto. | 120 days (Applicable to 2-A, 2-B & 2-C) | HOD | Member Secretary | Chairman |
| | B) | One-time Authorization for import of Hazardous Waste as per Part-D Schedule-III of Hazardous and Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 and amendment thereto. | | HOD | Member Secretary | Chairman |
| | C) | Authorization to transporters for transportation of Hazardous Waste through vehicle in the state of Maharashtra under Rule 18 of Hazardous and Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules. 2016 and amendment thereto. | | HOD | Member Secretary | Chairman |
| 3. | | | te Management Rules 2016 for: | | | |
| | A) | 'C' Class councils | 60 days (Applicable to 3-A, 3-B, 3-C & 3-D) | Sub Regional Officer | Regional Officer | HOD |

| Council Corporations Consent Consent Consent Consent Consent Committee Consent Consent Committee Consent Committee Consent Committee Consent C | | B) | 'B' Class Municipal Councils and Cantonment Boards | | | | | | Regional Officer | HOD | Member Secretary |
|--|--|----------------|---|--|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| Day | | C) | | | | | | | HOD | | Chairman |
| No timeline prescribed as per C&D Waste Rules, 2016, however Board has stipulated timeline of 120 days (Applicable to 4-A, 4-B, 4-C & 4-D) Regional Officer Officer | and a second management of the second | D) | | Transfer of the control of the contr | | | | | l | Chairman | Principle Secretary, Environment & CC Dept. |
| By B' Class Municipal Councils and Cantonment Boards | ١. | Aut | thorization under Construct | tion an | d Demolition Waste | Manage | ement Rule | s 2016 fo | r: | *************************************** | above the second |
| Councils and Cantonment Boards Council D) All Municipal Corporations Combined Consent and Biomedical Waste Authorization for Health Care Establishments (HCEs) under the provisions of Water (P & CP) Act, 1974, Air (P & CP) Act, 1981 and Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 as amended and Hazardous Waste (M & TM) Rules, 2016. A) 1-25 Beds Sr. Application Period (in days) No. No. Application Period (in days) No. Regional Officer Grant or refusal Red Orange Green Officer Grant or refusal Red Orange Green Officer Consent Officer Consent Officer Consent Officer Consent Officer D) 101-200 Beds 2 Consent to establish Officer Consent Consent Consent to Principle Secretary, Environme & CCD Dept. (Applicable to 5-A, 5-B, 5-C, 5-D & 5-E) (Applicable to 5-A, 5-B, 5-C, 5-D & 5-E) Appraisal Committee Consent Com | | A) | 'C' Class Councils | howe | ever Board has stipu | lated tin | neline of 13 | | Regional | | НОД |
| Council Council Consent Cons | | В) | Councils and Cantonment | | | | | | | НОП | Member Secretary |
| Committee | | C) | 1 | | | | | | HOD | | Chairman |
| Water (P & CP) Act, 1974, Air (P & CP) Act, 1981 and Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 as amended and Hazardous Waste (M & TM) Rules, 2016. A) 1-25 Beds Sr. Application Period (in days) Sub-Regional Officer Officer Officer Officer Officer Officer | | D) | | | | | | | l | Chairman | Principle Secretary, Environmen & CC Dept. |
| B) 26-50 Beds | | | Water (P & CP) Act, 1974 | | P & CP) Act, 1981 a | | | | agement Rules | s, 2016 as ame | nded and |
| C) 51-100 Beds 2 Consent to operate, first Time D) 101-200 Beds- 3 Renewal of consent or expansion or amendment E) 201 and above Beds (Applicable to 5-A, 5-B, 5-C, 5-D & 5-E) Plastic EPR Registration under Plastic Waste Management Rules, 2016 and amendment, thereto. Per Registration under Battery Waste Battery Waste C) 51-100 Beds 2 Consent to 90 60 30 HOD Member Secretary Consent Chairman Principle Secretary. Committee Consent Appraisal Committee Committee Consent Appraisal Committee Committee Committee Chairman Secretary Chairman Secretary Chairman Secretary Chairman Secretary Chairman Secretary Chairman Chairman Secretary Chairman | | | | Sr. | P & CP) Act, 1981 a Hazardous Wa | iste (M é | & TM) Rule | es, 2016. | Sub- Regional | Regional | |
| D) 101-200 Beds- E) 201 and above Beds Consent (Applicable to 5-A, 5-B, 5-C, 5-D & 5-E) Plastic EPR Registration under Plastic Waste Management Rules, 2016 and amendment, thereto. EPR Registration under Battery Waste Beds Consent Chairman Principle Secretary, Environme (A CC Dept.) Consent Committee Committee Secretary, Environme (A CC Dept.) Consent Committee Secretary, Environme (A CC Dept.) Consent Committee Secretary, Environme (A CC Dept.) Committee Secretary, Environme (A CC Dept.) Consent Committee Secretary, Environme (A CC Dept.) Committee Secretary, Environme (A CC Dept.) Consent Committee Secretary, Environme (A CC Dept.) Consent Committee Secretary, Environme (A CC Dept.) Consent Consent (Applicable to 5-A, 5-B, 5-C, 5-D & 5-E) Appraisal Secretary, Environme (A CC Dept.) Consent Consent (Applicable to 5-A, 5-B, 5-C, 5-D & 5-E) Appraisal Secretary, Environme (A CC Dept.) Consent Consent (Appraisal Secretary) Environme (A CC Dept.) Consent Consent (Appraisal Secretary) Environme (A CC Dept.) Consent (Appraisa | | | | Sr. | P & CP) Act, 1981 a Hazardous Wa Application Grant or refusal | nste (M & | & TM) Rule | es, 2016. ys) | Sub- Regional | Regional | |
| D) 101-200 Beds- 3 Renewal of consent or expansion or amendment Committee Committee Secretary, Environme & CC Dept | | Λ) | 1-25 Beds | Sr. No. | P & CP) Act, 1981 a Hazardous Wa Application Grant or refusal of Consent to | P Red | & TM) Rule eriod (in da Orange | ys) Green | Sub- Regional Officer Regional | Regional Officer | HOD |
| E) 201 and above Beds (Applicable to 5-A, 5-B, 5-C, 5-D & 5-E) Appraisal Committee Com | | A) B) | 1-25 Beds 26-50 Beds | Sr. No. | P & CP) Act, 1981 a Hazardous Wa Application Grant or refusal of Consent to establish Consent to operate, first | P Red 60 | Crange 45 | ys) Green 30 | Sub- Regional Officer Regional Officer | Regional Officer HOD | HOD Member |
| under Plastic Waste Management Rules, 2016 and amendment, thereto. EPR Registration under Battery Waste Per SOP issued by CPCB Secretary Secretary HOD Member Secretary | The second secon | A) B) | 1-25 Beds 26-50 Beds 51-100 Beds | Sr. No. | P & CP) Act, 1981 a Hazardous Wa Application Grant or refusal of Consent to establish Consent to operate, first Time Renewal of consent or expansion or | Red 60 | Orange 45 | gs, 2016. gs) Green 30 | Regional Officer Regional Officer HOD | Regional Officer HOD Member Secretary | HOD Member Secretary Chairman |
| Battery Waste per SOP issued by CPCB Secretary | | А) В) С) | 1-25 Beds 26-50 Beds 51-100 Beds | Sr. No. | P & CP) Act, 1981 a Hazardous Wa Application Grant or refusal of Consent to establish Consent to operate, first Time Renewal of consent or expansion or amendment | Red 60 90 120 | Orange 45 60 | ys) Green 30 30 | Regional Officer Regional Officer HOD Consent Committee Consent Appraisal | Regional Officer HOD Member Secretary Chairman Principle Secretary, Environme nt & CC | Member Secretary Chairman Principle Secretary, Environmer & CC Dept |
| | | А) В) С) | 26-50 Beds 51-100 Beds 101-200 Beds- 201 and above Beds Plastic EPR Registration under Plastic Waste Management Rules, 2016 | Sr. No. | P & CP) Act, 1981 a Hazardous Wa Application Grant or refusal of Consent to establish Consent to operate, first Time Renewal of consent or expansion or amendment (Applicable to 5-A, | Red 60 90 120 5-B, 5-C | Orange 45 60 5, 5-D & 5-E | ys) Green 30 30 | Regional Officer Regional Officer HOD Consent Committee Consent Appraisal Committee | Regional Officer HOD Member Secretary Chairman Principle Secretary, Environme nt & CC Dept. Member | Member Secretary Chairman Principle Secretary, Environmen & CC Dept |

ANNEXURE-A

LIST OF INDUSTRIES EXCLUDED FROM DELEGATION OF CONSENT AND AUTHORIZATION MANAGAMENT TO REGIONAL OFFICER :—

- (1) Projects requiring Environmental Clearance from GoI and GoM.
- (2) All application of CRZ or other restricted areas.
- (3) Thermal power plants
- (4) Sponge iron plants
- (5) Fertilizer excluding organic bio-fertilizer and formulation
- (6) Common Effluent Treatment Plants (CETP)/ Common Hazardous Waste Treatment Storage And Disposal Facility (CHWTSDF)/ Common Bio-Medical Waste Treatment Facility (CBMWTDF)/ Common MSWTSD Facility
 - (7) Industries having electroplating, Electrical Arc, induction, Cupola and Blast Furnaces.
 - (8) Distillery (Molasses Based)
 - (9) Coke Oven
 - (10) Bulk Drug
 - (11) Pesticide Technical
 - (12) Cement
 - (13) Tanneries
 - (14) Slaughterhouses
 - (15) Dyes and Dyes Intermediates
 - (16) Pigment and Paint manufacturing
 - (17) Petrochemical Refinery and Petrochemicals.

Note:

- Where Stringent legal action like prosecution/Final closure direction have been given in the past one year, the cases of grant of renewal will be referred to next higher authority for all category of industry for grant or refusal of consent.
- The cases involved in any court case, in ecological fragile areas like Dahanu, Matheran, Mahabaleshwar, Panchgani, Murud Janjira etc., Bhatsa area shall be dealt at HQ level with approval of Member Secretary.
- Cases of Consent of Recycler/Reprocessor of Hazardous Waste, Plastic & E-waste shall be dealt by RO (HQ) and Authorization of Recycler & reprocessor of Hazardous Waste, E-waste & Registration of Plastic Industries shall be dealt by RO (HQ) with approval of Member Secretary.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SURYAKANT K. NIKAM, Joint Secretary to Government.